प्रेषक,

रवि शंकर मिश्र,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उद्यान अनुभाग **लखनऊः: दिनांकः 30 मार्च, 2021**

विषयः- जनपद संतकबीर नगर में स्थापित लोहिया पर्यावरणीय पार्क के अधूरे कार्यों को पूर्ण किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल धनराशि रू0 45.77 लाख की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में

महोदय

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-124/बजट/2020-21, दिनांक 3.02.2021 तथा पत्रांक संख्या-153/बजट/2020-21, दिनांक 27.03.2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-20/2020- 674/58- 2020-24/2019टीसी-1, दिनांक 17.4.2020 के अनुक्रम में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस- 2020-231/2020, दिनांक 24.03.2020 में निहित निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत निम्नलिखित तालिका में वर्णित मानक मदों में कुल धनराशि रू0 45.77 लाख (रूपये पैंतालिस लाख सतहत्तर हजार मात्र) की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैः-

(धनराशि लाख रूपये में)

लेखाशीर्षक/मद का नाम	**प्राविधानित धनराशि**	**पूर्व में अवमुक्त धनराशि**	**अवशेष धनराशि**	**अवमुक्त की जा रही धनराशि**
1	2	3	4	5
2406-वानिकी तथा वन्य जीव- 02-पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव- 112-सार्वजनिक उद्यान- 04-लोहिया पर्यावरणीय उद्यान एवं पार्क				
02-मजदूरी	50.00	37.54	12.46	6.89
42-अन्य व्यय	45.00	13.96	31.04	25.02
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	35.00	18.90	16.10	13.86
योग-				**45.77**

(1) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों सहित मितव्ययिता के संबंध में जारी शासनादेशों एवं वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24.03.2020 में निहित निर्देशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायें।

(2) जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

(3) बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियन्त्रण के संबंध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या बी-1-1195/दस-16/94 दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

http://shasanadesh.up.gov.in

(4) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना से स्वीकृत नहीं हुआ/हो रहा है।

(5) भण्डार क्रय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण यह सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी होगें कि व्यय को कड़ाई के साथ प्राधिकृत विनियोग के भीतर रखा जाये। यदि किसी विनियोग की प्राथमिक इकाई के अधीन आनुपातिक आधार पर व्यय में किसी बड़े अन्तर होने की सम्भावना मालूम पड़े तो उसे तत्काल शासन एवं वित्त विभाग के संज्ञान में लाया जाये।

(7) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय आय-व्ययक 2020-21 के बजट साहित्य में उल्लिखित लेखाशीर्षक एवं प्राविधानित धनराशि की सीमा के भीतर ही किया जायेगा। अन्य मद में किया गया व्यय वित्तीय अनियमितता माना जायेगा।

(8) वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020- 231/2020, दिनांक 24.03.2020 में दी गयी शर्तो एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन भी कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये। विचलन की स्थिति में वित्तीय अनियमितता माना जायेगा। जिसके लिए निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ एवं वित्त नियन्त्रक, उद्यान विभाग एवं संबंधित जनपदीय अधिकारी उत्तरदायी होगें।

(9) शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रपत्र पर प्रत्येक माह के 05 तारीख तक मासिक व्यय विवरण उपलब्ध कराया जाय।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-10 के लेखाशीर्षक 2406-02-112-04-लोहिया पर्यावरणीय उद्यान एवं पार्क के अन्तर्गत उपरोक्त तालिका में वर्णित मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020- 231/2020, दिनांक 24.03.2020, शासनादेश संख्या-4/2020/बी-1-192/ दस-2020-231/2020 दिनांक 07.04.2020, शासनादेश संख्या- 5/2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020 दिनांक 11.04.2020 एवं शासनादेश सं0-6/2020/बी-1-218/दस-2020- 231/2020, दिनांक 18.05.2020 में दी गयी शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(रवि शंकर मिश्र)
उप सचिव।

<u>संख्या-32/2021-839 (1)/58-2021, तद्दिनांक-</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षक) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- वित्त नियन्त्रक, निदेशालय, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0प्र0 लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- सम्बन्धित जिला उद्यान अधिकारी/कोषाधिकारी।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रवि शंकर मिश्र)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in